न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या 15/2013

प्रार्थी नारायणसिंह पुत्र गेनसिंह जाति राजपूत निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, बगते की बेरी भाचभर तहसील रामसर	बनाम	विप्रार्थी 1. ग्राम पंचायत भाचभर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भाचभर 2. श्री मलीनाथ सार्वजनिक सराय बख्ते की बेरी जरिये ग्राम पंचायत भाचभर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 01 दिनांक 9.12.2004 जो ग्राम पंचायत भाचभर द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 श्री मलीनाथ सार्वजनिक सराय बख्ते की बेरी के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः—1. प्रार्थी मय अधिवक्ता श्री दलपतसिंह उपस्थित।
2. विप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित विप्रार्थी 02 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 8.6.2016

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत भाचभर द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी भूखण्ड का पट्टा संख्या 01 दिनांक 9.12.2004 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी एवं उसके सह खातेदारों की संयुक्त पैतृक खातेदारी के खेत खसरा नंबर 20 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 232/21 रकबा 06 बिस्वा एवं खसरा नंबर 233/21 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा मौजा बगते की बेरी पटवार मण्डल भाचभर तहसील रामसर में आई हुई है। उक्त खातेदारी भूमि में ही प्रार्थी के पूर्वजो ने काफी वर्षो पूर्व आने जाने वाले मेहमानों के लिय एक कोटड़ी का निर्माण करवाया था जो वर्तमान में बिना रख—रखाव के कारण जीर्ण—शीर्ण अवस्था में है। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा "प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004" के दौरान प्रार्थी की खातेदारी भूमि में बनी उक्त कोटड़ी का पट्टा संख्या 01 मल्लीनाथ सार्वजनिक सराय के नाम से दिनांक 9.12.2004 को गुपचुप तरीके से बिना पत्रावली संधारित किये जारी कर दिया। जिस पर आपत्ति करने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

20.12.2004 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 2 पारित करते समय पाया कि सार्वजनिक मल्लीनाथ सराय के बनाम से जो पट्टा जारी किया गया है, उक्त पट्टासुद भूमि पर कोई सराय विद्यमान नहीं है, जिस स्थान का पट्टा जारी किया गया है वह खातेदारी की भूमि है,। प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत मल्लीनाथ्स सराय के नाम से जो जारी किया गया पट्टा गलत है,। पंचायत द्वारा विचार विमर्श कर उक्त पट्टा निरस्त करने का निर्णय लिया जाकर पट्टा निरस्त कर दिया गया। परन्तु विप्रार्थी के पास कानूनन पुर्नवलोकन की शक्तियॉ नहीं होने के कारण विधिवत रूप से उक्त विवेच्य पट्टा खारिज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त किया जावें।

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये। ग्राम पंचायत भाचभर से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किये जाने पर ग्राम सेवक भाचभर द्वारा जाहिर किया कि प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 के दौरान् जारी किये गये पट्टो से सम्बन्धित रिकार्ड ग्राम पंचायत भाचभर में उपलब्ध नहीं है।

4. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत भाचभर ने अप्रार्थी संख्या 02 को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2004 के दौरान् खातेदारी भूमि पर पट्टा संख्या 01 मल्लीनाथ सार्वजनिक सराय के नाम से दिनांक 9.12.2004 को बिना पत्रावली संधारित किये जारी किया गया जिस पर आपत्ति होने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.12.2004 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 2 पारित कर पट्टा निरस्त करने का निर्णय लिया जाकर पट्टा निरस्त कर दिया गया विप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा निरस्त करने योग्य है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भाचभर द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 मल्लीनाथ सार्वजनिक सराय भाचभर को जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 9.12.2004 को निरस्त किया जाता है।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 8.6.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)